

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

जयपुर दिनांक : 22.08.13

प.4(253) वित्त-1(1)आ.व्यय/2012/

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या -304/2013-14)

विषय:-राज्य वित्त आयोग चतुर्थ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में राशि का हस्तान्तरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 165(7) ले.ब./परावि/एस.एफ. सी.-चतुर्थ/10-11/पार्ट-11/7060 दिनांक 13.08.2013 (प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती क्रमांक 12/13-14) के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रु. 3676.75/- लाख (अक्षरे राशि रु छतीस करोड़ छियत्तर लाख पिचहत्तर हजार) मात्र निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुए संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे:-

-:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

बजट मद

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196 -जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(04)-राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सहायता

मांग सं. 41 [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	मांग सं. 30 [03]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	मांग सं. 51 [04]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	योग (राशि लाखों में)
517.175	91.905	126.17	735.25

बजट मद

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम


197 -ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता

(05)-राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए अनुदान

मांग सं. 41 [02]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	मांग सं. 30 [03]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	मांग सं. 51 [04]-कार्यकलाप/गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	योग (राशि लाखों में)
2069.05	367.6875	504.7625	2941.50
		कुल योग	3676.75


इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद/पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृती का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा ।

भवदीय

22.08.13
(सुधीर शर्मा)
निदेशक वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकर, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग ।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्युटर सैल)विभाग, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।


22-08-13
निदेशक वित्त (बजट)